

संख्या
दिनांक

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/इंचार्ज,
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
(जनपद-लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई)
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:- 'हर घर तिरंगा' अभियान-2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-787/सत्तर-3-2025-1957545, दिनांक 05 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 के मध्य 'हर घर तिरंगा' अभियान-2026 चरणवार निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में अनुरोध है कि अपने-अपने महाविद्यालय में 'हर घर तिरंगा' अभियान-2026 के संलग्न शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2026 के क्रम में दिनांक 06 अगस्त, 2026 से 15 अगस्त, 2026 की अवधि में चरणवार संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन किये जाने हेतु समन्वयक नामित करने तथा कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय स्तर से नामित समन्वयक को अवगत कराने का कष्ट करें। लखनऊ विश्वविद्यालय स्तर से दिनांक 06 अगस्त, 2026 से 15 अगस्त, 2026 की अवधि में चरणवार संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन किये जाने हेतु डॉ0 नीरज कुमार मिश्रा, एसोशिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को समन्वयक नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

डा0 नीरज कुमार मिश्रा mishra_nk@lkouniv.ac.in एवं मोबाइल नं0 9554127248 है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या
दिनांक

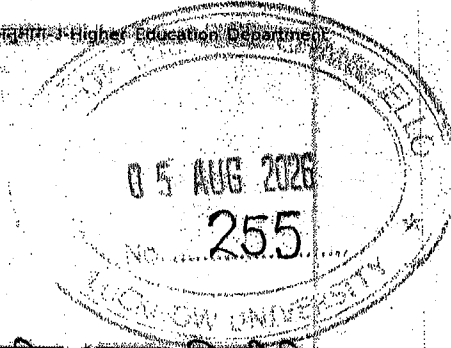
संख्या-8/959/2026 दिनांक-07/08/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-787/सत्तर-3-2025-1957545, दिनांक 05 अगस्त, 2026 के क्रम में सूचनार्थ।
4. डॉ0 नीरज कुमार मिश्रा, एसोशिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2026 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. ईचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

omisha

कुलसचिव

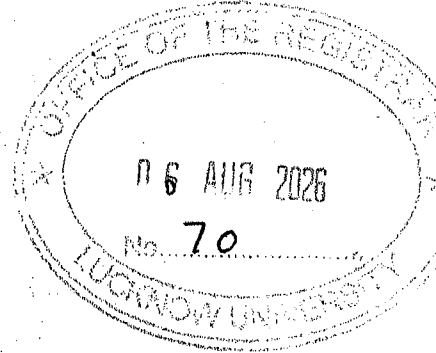


महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-787/सतर-3-2025-1957545

प्रेषक,

शकील अहमद सिददीकी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।



सेवा में,

- 1- निर्देशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 3- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०।
- 4- विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना
कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषय:- 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संस्कृति अनुभाग के पत्र संख्या- 2225/चार-2026-1955062, दिनांक 05 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 के बीच 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वय जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में दिनांक 06 अगस्त से 15 अगस्त, 2026 की अवधि में चरणवार उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं:-

1. प्रथम चरण- (दिनांक 06 - 08 अगस्त 2026)

05/08/26
Registrar/SW

D.R.(G-A)

82
9/08/2026

- I. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाना।
- II. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित हर घर तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।
- III. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर डाक विभाग के समन्वय से भेजना।
- V. तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाजारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।
- VI. पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाये। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकन मनी के साथ किया जाये।
- VII. स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से करायी जाये।

2- द्वितीय चरण- (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)

- I. प्रत्येक जिलों में स्कूल/कॉलेज तथा तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को आमंत्रित कर 26 जनवरी 2027 को सम्मानित किया जाये।
- II. द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट' आयोजित किया जाना।

- III. प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।
 - IV. 'तिरंगा मेला' के आयोजन में प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग' के सहयोग से निर्मित उत्पादों 'स्थानीय उत्पादों' (ODOP), 'तिरंगा रंग' की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / शृंगार सामग्री आदि) का बिक्री एवं प्रदर्शन किया जाये।
 - V. मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन किया जायेगा।
 - VI. वेबसाइट www.harohar.tifrangra.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।
 - VII. वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम' का आयोजन किया जाना।
 - VIII. प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भंडारों और स्थानीय बाजार के वस्त्रावली आदि के माध्यम से 'तिरंगा' की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।
 - IX. सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
 - X. प्रत्येक नागरिक को 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।
- 3- तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2026)
- I. दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत

सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartistiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

- II. स्वतंत्रता दिवस के दिन वैसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की रैली निकाली जाये। रैली के प्रारम्भ से पूर्व वंदे मातरम् का गायन किया जाये। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाये। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा खो-खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि का आयोजन किया जाये। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये गये जन-प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण किया जाये।
- III. आंगडवाड़ी केन्द्र/वृद्धाश्रमों/निरासित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधारगृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाये।
- IV. ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाये तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाये।
- V. समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।
- VI. प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।
- VII. स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थानों जैसे शहीद स्मारक मेरठ चोरी-चौरा गोरखपुर, झांसी का किला, विठ्ठल कानपुर, रेजीडेंसी लखनऊ, बलिया शहीद स्मारक, सुहेलदेव स्मारक बहाइच पर 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे- धनसिंह गुज्जर, शहीद बंधु

- सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मी बाई, चित् पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, गुलाब सिंह लोधी, चन्द्र शेखर आजाद, रामचन्द्र विद्यार्थी जैसे शहीदों को याद किया जाये।
- VIII. शहीद स्थातों/समारकों/सुमारकों पर पुलिस बैण्ड/पीएसी बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देशप्रेम संबंधी गीतों की धुन का वादन किया जाये।
- IX. प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकयत्तों, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा वाइक रैली' का आयोजन किया जाना।
- X. उक्त आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे जिनमें स्कूल बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- XI. तिरंगा रैली में एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/ नेहरू युवा केन्द्र के साथ-साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेन्स के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाये।
- 3- इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 05-08-2026
19:39:03

(शकील अहमद सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (2) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (4) निजी सचिव, प्रमु. ख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (6) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिददीकी)

संयुक्त सचिव।